89

[2019] 17 एस. सी. आर. 89

क.

विनय प्रकाश सिंह बनाम

समीर गेहलौत और हमारा।

(2018 की अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 2120)

(2017 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 20417) 15 नवंबर, 2019

[रंजन गोगोई**,** सी**.** जे**.** आई**.,** दीपक गुप्ता और संजीव खन्ना**,** जे**.** जे**.]**

ग

न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971-एस. एस.2(ख), (ग)-एस. एल. पी. (सी) No.20417/17 में याचिकाकर्ता और प्रतिवादियों के बीच विवाद जिसे अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया गया है-31.03.2017, 'एम. एम. एस.' और 'एस. एम. एस.'-निदेशक (अवमानक संख्या।9 & 12 और ऑस्कर इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड (ओ. आई. एल.-उत्तरदाता सं. 10 और 13, क्रमशः)।1 एसएलपी में) और आरएचसी होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड (आरएचसी-प्रत्यर्थी सं।8 ओ. आई. एल. के माध्यम से एस. एल. पी. में) और आर. एच. सी. ने फोर्टिस हेल्थकेयर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड (एफ. एच. एच. पी. एल.) में 100% हिस्सेदारी रखी, जिसकी बदले में फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड (एफ. एच. एल.) में बहुमत हिस्सेदारी थी-याचिकाकर्ता ने सिंगापुर में पारित मध्यस्थता पुरस्कार के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में प्रवर्तन कार्यवाही दायर की और कहा कि वह लगभग Rs.3500 करोड़ प्राप्त करने का हकदार है।प्रत्यर्थी संख्या से।1-15 – इसमें, इसने प्रत्यर्थियों को उनकी संपत्तियों पर बोझ डालने से रोकने के लिए आवेदन दायर किए-प्रत्यर्थियों द्वारा दिए गए कई आश्वासन कि याचिकाकर्ता के अधिकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी-याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना याचिका दायर की जिसमें उसके आदेशों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था, जिसके द्वारा प्रभावी रूप से, ओआईएल और आरएचसी को एफएचएचपीएल के माध्यम से एफएचएल में अपनी हिस्सेदारी कम करने से रोक दिया गया था-उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थियों द्वारा दिया गया पांचवां आश्वासन दर्ज किया-याचिकाकर्ता द्वारा एसएलपी (सी) No.20417/17 में चुनौती दी गई-11.08.2017 पर, एफएचएल में एफएचएचपीएल की हिस्सेदारी को बनाए रखने के लिए यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था-याचिकाकर्ता ने इस अदालत में अवमानना याचिका दायर की जिसमें आरोप लगाया गया था कि <आईडी पर प्रतिज्ञा बनाने में प्रत्यर्थियों का आचरण 11.08.2017 एन्कम्बर्ड और अनएनकम्बर्ड दोनों शेयरों के संबंध में था-दिनांकित आदेश द्वारा स्पष्ट किए गए उपरोक्त आदेश।15.02.2018 – एक अन्य

डी.

ई.

च

जी.

एच.

89 ए.

90 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 17 एस. सी. आर.

उस अंतरिम आदेश को दिनांकित करते हुए 23.02.2018 पर आदेश पारित किया गया।15.02.2018 जब तक उच्च न्यायालय इस मामले का फैसला नहीं करता, तब तक वह अपने पद पर बना रहेगा-इसके अलावा, इंडियाबुल्स वेंचर्स लिमिटेड

(आई. वी. एल.), जिसके साथ एफ. एच. एच. पी. एल. एफ. एच. एल. द्वारा रखे गए एफ. एच. एल. के शेयरों को इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (आई. एच. एफ. एल.) को हस्तांतरित करने के लिए एक डीमैट खाता रखता है-यह आरोप लगाते हुए दायर की गई अवमानना याचिका कि यह उपरोक्त आदेशों की अवमानना थी-आयोजित की गईः12,25,000 शेयरों का लेन-देन असंक्रमित शेयरों से बाहर है क्योंकि 31.03.2018 के बाद, भारित शेयर 12,25,000 से बहुत नीचे थे-आधिकारिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि ये शेयर भारित नहीं थे-समकालीन यह दिखाने के लिए कोई ठोस सामग्री दर्ज करने में विफल रहे कि ये 12,25,000 शेयर 31.08.2017 पर या उससे पहले गिरवी रखे गए थे-समकालीन संख्या।1-8, आई. एच. एफ. एल. और आई. वी. एल. के सक्रिय निदेशक जानबूझकर और जानबूझकर इस अदालत के आदेशों की अवज्ञा करने और अदालत की अवमानना करने के दोषी हैं-सजा के सवाल पर सुनवाई के लिए-आगे के निर्देश जारी किए गए-अवमानकर्ता 9,10,12 और 13 के मामले में, उन्होंने जानबूझकर और स्वेच्छा से एफ. एच. एल. पर नियंत्रण खो दिया-दिल्ली उच्च न्यायालय को दिए गए उपक्रमों के साथ-साथ इस न्यायालय के आदेशों का भी उल्लंघन किया गया था-दिल्ली उच्च न्यायालय इस मुद्दे पर जहां तक उसके समक्ष किए गए उपक्रमों का संबंध है-समकालीन संख्या।9 & 10 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर और अपमानजनक रूप से अवज्ञा की है-अवमानना करने वाले एन. ओ. एस. के खिलाफ आपराधिक अवमानना करने के लिए कार्रवाई की जा सकती थी। 9 और 10, लेकिन मामले पर नरमी से विचार करने से इसे केवल दीवानी अवमानना के रूप में माना जा रहा है-सजा के सवाल पर सुनवाई के लिए-निर्देश जारी किए गए-इसके अलावा, अवमानना का स्वतः संज्ञान नोटिस भी जारी किया गया-दिनांकित आदेश के उल्लंघन पर नई अवमानना याचिका दर्ज करने के लिए रजिस्ट्री।14.12.2018 जिसमें आर. एच. सी., ओ. आई. एल., 'एम. एम. एस.', 'एस. एम. एस.' और एफ. एच. एल. को अवमानक के रूप में रखा जाएगा।

ग

डी.

ई.

च

निर्देश जारी करते समय**,** न्यायालय ने कहाः**1.1** समकालीन संख्या **1** से **8**

आई**.** एच**.** एफ**.** एल**.** का यह रुख कि **11.08.2017** के बाद कोई प्रतिज्ञा नहीं की गई थी**,** गलत है।एफ**.** एच**.** एच**.** पी**.** एल**.** द्वारा बी**.** एस**.** ई**.** और एन**.** एस**.** ई**.** को **21.08.2017** पर किए गए प्रकटीकरण से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि एफ**.** एच**.** एच**.** पी**.** एल**.** द्वारा रखे गए एफ**.** एच**.** एल**.** के **30,59,260** शेयरों को आई**.** एच**.** एफ**.** एल**.** के पक्ष में **14.08.2017** पर गिरवी रखा गया था। **21.08.2017** का यह खुलासा रिकॉर्ड का एक हिस्सा है और आई**.** एच**.** एफ**.** एल**.** द्वारा विशेष रूप से इनकार नहीं किया गया है। इस न्यायालय ने **11.08.2017** पर निर्देश दिया कि एफ**.** एच**.** एल**.** में एफ**.** एच**.** एच**.** पी**.** एल**.** की हिस्सेदारी के संबंध में यथास्थिति बनी रहे।**31.08.2017** पर यह स्पष्ट किया गया कि ए

जी.

एच.

91

विनय प्रकाश सिंह बनाम समीर गेहलौत और हमारा।

आदेश भारित और गैर**-**भारित दोनों शेयरों पर लागू होगा।**14.08.2017,30,59,260** पर**,** आई**.** एच**.** एफ**.** एल**.** के पक्ष में बिना ऋण वाले शेयरों को गिरवी रखा गया था। जहां तक दिनांकित **11.08.2017** आदेश के इस उल्लंघन का संबंध है**,** दिनांकित **31.08.2017** आदेश को देखते हुए**,** इसे माफ कर दिया जाता है।इसका मतलब यह होगा कि बिना ऋण वाले शेयरों को घटाकर **3,52,55,957** कर दिया जाना चाहिए था।हालांकि**,** सितंबर **2017** के आंकड़े पूरी तरह से अलग स्थिति दिखाते हैं।कुल शेयरधारिता गिरकर **17,80,26,597** हो गई है और बिना ऋण वाले शेयर **26,31,777** हो गए हैं।इसका मतलब है कि **14.08.2017,3,26,24** पर गिरवी रखे गए **30,59,260** शेयरों के अलावा**,** इस अवधि के दौरान **180** शेयरों को भारित या हस्तांतरित किया गया था।ओ**.** आई**.** एल**.,** आर**.** एच**.** सी**.,** एम**.** एम**.** एस**.** या एस**.** एम**.**

एस. द्वारा इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि अदालतों के आदेशों का पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए इन बिना ऋण वाले शेयरों को कैसे जमा किया गया या स्थानांतरित किया गया।आई. डी. **1** का आदेश स्पष्ट रूप से एफ. एच. एच. पी. एल. को आई. एच. एफ. एल. में अपनी हिस्सेदारी बदलने से रोकता है। **31.08.2017** दिनांकित आदेश के माध्यम से, यह स्पष्ट किया गया था कि **11.08.2017** दिनांकित आदेश भारित और गैर-भारित शेयरों दोनों पर लागू होगा।यह केवल **15.02.2018** पर ही स्पष्ट किया गया था कि यह **11.08.2017** और **31.08.2017** से पहले के भारित शेयरों पर लागू नहीं होगा।**3** आदेशों को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि कम से कम **31.08.2017** के बाद किसी भी बिना ऋण वाले शेयर से शुल्क नहीं लिया जा सकता है।भले ही एफ. एच. एच. पी. एल. ने आई. वी. एल. को सुरक्षा मूल्य बढ़ाने के लिए अपने डीमैट खाते से शेयरों को स्थानांतरित करने का अधिकार देते हुए पावर ऑफ अटॉर्नी दिया था, लेकिन उस पावर ऑफ अटॉर्नी का उपयोग इस अदालत के आदेशों का उल्लंघन करने के लिए नहीं किया जा सकता था।एफ. एच. एच. पी. एल. जो नहीं कर सका, वह स्पष्ट रूप से उसके प्रतिनिधि या वकील द्वारा नहीं किया जा सका।जिन शेयरों का उपयोग **31.08.2017** के बाद प्रतिभूति को बढ़ाने के लिए किया गया था, वे स्पष्ट रूप से इस तारीख से पहले के बिना ऋण वाले शेयर थे।याचिका स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है और यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देने वाले आदेश की जानबूझकर अवज्ञा के लिए एक लंगड़ा बहाना है, जो संशोधित के रूप में, बिना ऋण वाले शेयरों पर लागू होना था।उत्तरदाताओं को पता था और वे उन कथित समझौतों के बारे में अनभिज्ञता का दावा नहीं कर सकते थे जिनके तहत उन्हें शेयरों के बाजार मूल्य में गिरावट के मामले में प्रतिभूतियों पर टॉप-अप करने की आवश्यकता थी।दूसरे शब्दों में, इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश लागू होना था, भले ही लेनदारों द्वारा रखी गई प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य में गिरावट आई हो।**12,25,000** शेयरों का लेन-देन बिना ऋण वाले शेयरों से बाहर है क्योंकि **31.03.2018** के बाद, ऋण वाले शेयर **12,25,000** से बहुत नीचे थे। अधिकारी ने

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

92 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 17 एस. सी. आर.

क.

रिकॉर्ड से पता चलता है कि इन शेयरों पर बोझ नहीं डाला गया था और अवमानकर्ता यह दिखाने के लिए कोई ठोस सामग्री रिकॉर्ड पर रखने में विफल रहे हैं कि ये **12,25,000** शेयर **31.08.2017** पर या उससे पहले गिरवी रखे गए थे।आई. एच. एफ. एल. ने, वास्तव में, इस अदालत के आदेशों का घोर उल्लंघन किया और बिना ऋण वाले शेयरों को भी स्थानांतरित करने के लिए विभिन्न लेनदेन किए।आई. एच. एफ. एल. के लिए उपलब्ध सबसे अच्छा तरीका यह होता कि वह स्थानांतरण करने से पहले स्पष्टीकरण के लिए इस अदालत से संपर्क करे।उन्होंने ऐसा नहीं किया।**[**पैरा **25,26,28-31] [108-C-F; 109-B-F; 110-A-D]**

2.1 समकालीन **9** और **10,12** और **13**

दुर्भाग्य से, इन अवमानकों के कार्यों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि ये बयान उनका पालन करने के कम से कम इरादे के बिना दिए गए थे।इन अवमानकों ने याचिकाकर्ता के अधिकारों को विफल करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एफ. एच. एल. में अपनी हिस्सेदारी को कम करने की एक सुविचारित योजना पहले ही तैयार कर ली थी।दिए गए स्पष्टीकरण विचार के योग्य नहीं हैं।इस न्यायालय के आदेशों का जानबूझकर उल्लंघन किया गया है।यह स्पष्ट है कि अवमानकर्ताओं ने जानबूझकर और स्वेच्छा से एफ. एच. एल. पर नियंत्रण खो दिया। एक वादी को अदालत में हमेशा सच्चा और ईमानदार होना चाहिए।जो इक्विटी चाहता है उसे किसी भी प्रासंगिक सामग्री को नहीं छिपाना चाहिए।वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ने दिल्ली उच्च

न्यायालय को दिए गए वचनों के साथ-साथ इस न्यायालय के आदेशों का भी उल्लंघन किया है।जहाँ तक उसके समक्ष किए गए उपक्रमों का संबंध है, दिल्ली उच्च न्यायालय इस मुद्दे पर विचार करेगा।वर्तमान संख्या।**9** और **10** ने भी जानबूझकर और अपमानजनक रूप से इस न्यायालय के आदेशों की अवज्ञा की है।इस न्यायालय में इस मामले के लंबित रहने की अवधि के दौरान जो हुआ है, वह यह है कि एफ. एच. एच. पी. एल. की हिस्सेदारी, जो पूरी तरह से ओ. आई. एल. और आर. एच. सी. के स्वामित्व में है, जो बदले में एस. एम. एस. और एम. एम. एस. द्वारा नियंत्रित होती है, एफ. एच. एल. में लगभग गायब हो गई है। एफ. एच. एच. एल. के पास अब एफ. एच. एल. में कोई शेयर नहीं है।यह सच हो सकता है कि आईएचएच हेल्थकेयर बीएचडी। (मलेशियाई कंपनी) अपनी वास्तव में स्वामित्व वाली सहायक कंपनी नॉर्दर्न टीके वेंचर पीटीई लिमिटेड के माध्यम से अब बहुसंख्यक हितधारक है, लेकिन यह तरजीही शेयरों के आवंटन के कारण है।उन्हें आवंटित तरजीही शेयरों के अलावा, एफ. एच. एल. में एफ. एच. एच. पी. एल. में अपनी हिस्सेदारी के माध्यम से एम. एम. एस. और एस. एम. एस. के स्वामित्व वाले शेयर हवा में गायब हो गए हैं और केवल एक ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह याचिकाकर्ता को उसकी देय राशि से वंचित करने की एक सुविचारित योजना थी।[पारस **37-39] [112-B-E-G-H; 113-A] A**

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

93

विनय प्रकाश सिंह बनाम समीर गेहलौत और हमारा।

2.2 किसी भी व्यक्ति या संस्था को, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।अदालत की अवमानना विभिन्न तरीकों से की जा सकती है।दीवानी अवमानना को अदालत की अवमानना अधिनियम, **1971** की धारा **2** (बी) के तहत परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है अदालत को दिए गए किसी वचन के जानबूझकर उल्लंघन के किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करना।आपराधिक अवमानना को धारा **2** (सी) के तहत कुछ भी शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है जो अदालत के अधिकार को कम करता है या कम करता है या कम करता है।आपराधिक अवमानना का अर्थ कोई भी कार्य है जो न्यायिक कार्यवाही के नियत पाठ्यक्रम में पूर्वाग्रह या हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता है।अवमानना संख्या का आचरण।**9** और **10** निश्चित रूप से न्यायालय के अधिकार को कमजोर करता है।न्यायालय एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता पर विचार कर रहा है जो एक निर्णय में परिणत हो गया है, लेकिन अवमानना की कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करके।**9** और **10** ने सफलतापूर्वक याचिकाकर्ता को भुगतान करने से बचा लिया है।अवमाननाकर्ता एन. ओ. एस. के खिलाफ आपराधिक अवमानना करने के लिए कार्रवाई की जा सकती थी। **9** और **10,** लेकिन मामले पर नरमी से विचार करके इसे केवल नागरिक अवमानना के रूप में माना जा रहा है।इस न्यायालय द्वारा **11.08.2017** पर **31.08.2017** पर स्पष्टीकरण के साथ पारित आदेश और **15.02.2018** पर किए गए संशोधन को अलग से नहीं पढ़ा जाना चाहिए, बल्कि दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानकर्ताओं द्वारा दिए गए गंभीर उपक्रमों और आश्वासनों के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जिसमें अंतिम आदेश **21.06.2017** पर देर से दिया गया था।ये आश्वासन इस आशय के थे कि भले ही न्यायालय ऋण के भुगतान के लिए भारित शेयरों की बिक्री की अनुमति देता है, इसका (संभावित) लेनदारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और धन की उपलब्धता केवल ऋण को कम करेगी और शेयरों के मूल्य में वृद्धि करेगी।उपरोक्त गंभीर आश्वासनों और उपक्रमों के विपरीत, जिन्हें बार-बार आदेश प्राप्त करने के लिए दोहराया गया था, शेयरधारिता में गिरावट आई, जैसा कि पैराग्राफ **23** की तालिका से स्पष्ट है। एफ. एच. एच. पी. एल. द्वारा रखे गए शेयरों की कुल संख्या में उल्लेखनीय गिरावट आई, जो सितंबर **2016** में **27,21,59,955** और **5,29,31,574** से घटकर दिसंबर **2018** में **5,51,484** और **6,01,607** हो गई। मूल्यांकन पर प्रभाव वाले उपरोक्त तथ्य को कभी भी न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया था और इस ज्ञान के साथ छिपाया गया था कि यदि इन तथ्यों को ध्यान में लाया जाता है, तो इन आदेशों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ेगा जो राज्य के हितों की रक्षा के लिए पारित किए जाएंगे।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

94 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 17 एस. सी. आर.

क.

याचिकाकर्ता।इससे भी अधिक चौंकाने वाली और स्पष्ट रूप से तिरस्कारपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से एक सुविचारित योजना में, कंपनी में नियंत्रित ब्याज को स्थानांतरित करने के उद्देश्य और उद्देश्य के साथ एफ. एच. एल. की अधिकृत पूंजी को बढ़ाया गया था।नतीजतन, एफ. एच. एल. में एम. एम. एस. और एस. एम. एस. की नियंत्रण रुचि कम हो गई, क्योंकि कंपनी ने हाथ बदले।बहुसंख्यक शेयरधारकों द्वारा रखे गए नियंत्रित ब्याज का काफी बाजार मूल्य होता है।इसके अलावा, एक विदेशी शेयरधारक द्वारा लाई गई राशि, जिसका अब एफ. एच. एल. में नियंत्रक हित है, को पूरे तथ्यों को रिकॉर्ड में लाए बिना संदिग्ध और गुप्त तरीके से स्थानांतरित कर दिया गया है।यह राशि पुरस्कार के भुगतान और संतुष्टि के लिए उपलब्ध नहीं है। सिंगापुर में पंजीकृत एक न्यास यानी आर. एच. टी. हेल्थ ट्रस्ट (आर. एच. टी.) को बहुत जल्दबाजी और गुप्त तरीके से लगभग **4600** करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं।संयोग से, उत्तरदाताओं ने नहीं।**9 & 10** स्वयं या अपनी होल्डिंग कंपनियों के माध्यम से एक समय में ट्रस्ट में सबसे बड़े यूनिटहोल्डर थे।यह स्पष्ट है कि उत्तरदाता देनदार होने के नाते इस इच्छा और इरादे के साथ मूल्य की परिसंपत्तियों को हेरफेर, स्थानांतरित और परिवर्तित कर रहे हैं कि याचिकाकर्ता निर्णय के अनुसार अवमूल्यन राशि की वसूली करने में सक्षम नहीं होंगे।**[**पारस **40-42] [113-B-H; 114-A-D]**

ग

डी.

2.3 इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश और पारित आदेश इस तथ्य के आलोक में थे कि अवमानकर्ता हमेशा यह अनुमान लगाते थे कि आश्वासन और उपक्रम बाध्यकारी और पालन करने वाले थे।इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि अवमानकर्ता **9** और **10** ने एफ. एच. एल. में एफ. एच. एच. पी. एल. की हिस्सेदारी को जानबूझकर बदल दिया है।उन्होंने याचिकाकर्ता के अधिकारों को विफल करने के उद्देश्य से ऐसा किया है।उन्होंने इस न्यायालय के दिनांक **11.08.2017,31.08.2017** और **15.02.2018** के आदेशों का भी जानबूझकर और आपत्तिजनक रूप से उल्लंघन किया है।तदनुसार उन्हें अदालत की अवमानना करने का दोषी ठहराया जाता है।**[**पारस **43,44] [11-ई-जी]**

ई.

च

3. 14.12.2018 दिनांकित आदेश का उल्लंघन

अवमानना का स्वतः संज्ञान नोटिस जारी किया जाता है और रजिस्ट्री आई. डी. को दिनांकित **14.12.2018** के आदेश के उल्लंघन के संबंध में एक नई अवमानना याचिका दर्ज करने का निर्देश दिया जाता है जिसमें आर. एच. सी., ओ. आई. एल., एम. एम. एस., एस. एम. एस. और एफ. एच. एल. को अवमानक के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।एफ. एच. एल. को निर्देश दिया जाता है कि वह आई. डी. **2** से आई. डी. **1** तक की अवधि के लिए कंपनी के संचालन में सक्रिय रूप से शामिल निदेशकों/अधिकारियों की सूची का खुलासा करे।**[**पैरा **50] [116-ई-एफ]** ए

जी.

एच.

95

विनय प्रकाश सिंह बनाम समीर गेहलौत और हमारा।

4. दिशा**-**निर्देश

इस अवमानना याचिका का निपटारा निम्नलिखित शर्तों में किया जाता हैः**- -**प**.**व**.**१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है **-**

(i) आई**.** एच**.** एफ**.** एल**.** और आई**.** वी**.** एल**.** के सक्रिय निदेशक**,** वर्तमान आई**.** डी**. 3** से **8** तक**,** इस न्यायालय के दिनांक आई**.** डी**. 4,** आई**.** डी**. 2** और आई**.** डी **5** के आदेशों की जानबूझकर और जानबूझकर अवज्ञा करने के दोषी पाए जाते हैं**,** जैसा कि आई**.** डी**. 1** पर जारी है और इस न्यायालय की अवमानना करने के दोषी पाए जाते हैं।सजा के सवाल पर सुनवाई की जाए।उन्हें आज से आठ सप्ताह के भीतर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में **31.08.2017** पर **12,25,000** शेयरों का मूल्य जमा करके अवमानना से खुद को मुक्त करने का अवसर दिया जाता है।यदि उक्त प्रतिवादी अवमानना से खुद को मुक्त करते हैं**,** तो सजा सुनाते समय एक उदार दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है।

ग

(ii) 'एम**.** एम**.** एस**.',** ऑस्कर इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के निदेशक और आर**.** एच**.** सी**.** होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक **(**कंटेंनर **<**आई**.** डी**. 2** और **12)** और 'एस**.** एम**.** एस**.',** ऑस्कर इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के निदेशक और आर**.** एच**.** सी**.** होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक **(**कंटेंनर **<**आई**.** डी**. 1** और **13)** ने जानबूझकर और जानबूझकर इस अदालत के दिनांक **11.08.2017,31.08.2017** और **15.02.2018** के आदेशों का उल्लंघन किया है जैसा कि **23.02.2018** पर जारी है।इसलिए**,** उन दोनों को इस न्यायालय की अवमानना करने का दोषी ठहराया जाता है।उन्हें अवमानना से खुद को शुद्ध करने का एक मौका दिया जाता है।यह निर्देश दिया जाता है कि यदि अवमानकर्ताओं में से प्रत्येक रुपये की राशि जमा करता है। इस न्यायालय में आज से आठ सप्ताह के भीतर तब न्यायालय सजा सुनाते समय उनके साथ नरमी से निपटने पर विचार कर सकता है।

डी.

ई.

च

(iii) यदि अवमानकर्ताओं में से कोई भी राशि जमा करता है जैसा कि ऊपर निर्देश दिया गया है**,** तो यह न्यायालय अगली तारीख को तय करेगा कि इस राशि का वितरण कैसे किया जाए।

(iv) रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह आर**.** एच**.** सी**.** होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड**,** ऑस्कर इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड**,** 'एम**.** एम**.** एस**.',** 'एस**.** एम**.** एस**.'** और फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड के खिलाफ इस अदालत के दिनांकित 'आई**.** डी**. 1'** के आदेश का जानबूझकर उल्लंघन करने के लिए स्वतः संज्ञान लेते हुए अवमानना याचिका दायर करे और उन्हें 'आई**.** डी**. 2'** के लिए वापस करने योग्य नोटिस जारी करे और उनसे कारण बताए कि उन्हें अवमानना के लिए दंडित क्यों नहीं किया जाना चाहिए।**[**पारस **51,52] [116-**जी**-**एच**; 117-**ए**-**एच**; 118-**ए**]**

जी.

एच.

96

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

क.

अंतर्निहित न्यायनिर्णय:2017 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 20417 में 2018 की अवमानना याचिका (सी) संख्या 2120।

2017 के एस. एल. पी. (सी) सं. 20417 में पारित इस न्यायालय के आदेश दिनांक 11.08.2017,31.08.2017,15.02.2018 और 23.02.2018 के जानबूझकर उल्लंघन के लिए दायर याचिका।

फली एस. नरीमन, अरविंद पी. दातार, कृष्णन वेणुगोपाल, दुष्यंत दवे, कैलाश वासदेव, नीरज किशन कौल, डॉ. ए. एम. सिंघवी, श्याम दीवान, गोपाल शंकरनारायणन, राकेश द्विवेदी, सी. एस. वैद्यनाथन, पराग त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता।, सुभाष शर्मा, अमित कुमार मिश्रा, मोहित सिंह, सुश्री समृद्धि होता, सुश्री कनिका सिंघल, शशांक मनीष, तुराब अली काजमी, आदित्य शंकर, रोहन जेटली, कुणाल चटर्जी, शिवम पांडे, सुश्री बी. विजयलक्ष्मी मेनन, सुश्री सुमन यादव, आदित्य सरीन, शोभित आहूजा, कुणाल दत्त, प्रदीप छिंदरा, अभिषेक अग्रवाल, गगन गुप्ता, मेसर्स करंजावाला एंड कंपनी, महेश अग्रवाल, ऋषि अग्रवाल, अंकुर सहगल, हिमांशु सतीजा, निशांत राव, ई. सी. अग्रवाल, सुश्री आस्था मेहता, सुश्री नीहा नागपाल, निर्वाचक सिंह, सुश्री अदिति पी.उपस्थित दलों के लिए।

ग

डी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ई.

दीपाक गुप्ता**,** जे**.** द बैकड्रॉप

1. दाइची सैंक्यो कंपनी लिमिटेड (इसके बाद 'याचिकाकर्ता') और 2017 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) No.20417 में उत्तरदाताओं के बीच एक विवाद को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए भेजा गया था।सिंगापुर में 29.04.2016 पर एक मध्यस्थता पुरस्कार पारित किया गया था जिसमें याचिकाकर्ता को रुपये प्राप्त करने का हकदार ठहराया गया था। प्रत्यर्थी सं. से लगभग 3500 करोड़।1 2017 के एस. एल. पी. (सी) No.20417 में 15 तक।इस पुरस्कार को सिंगापुर और भारत दोनों में चुनौती दी गई थी।आपत्तियों को खारिज कर दिया गया है और पुरस्कार अंतिम हो गया है।हालाँकि उत्तरदाताओं का कहना है कि सिंगापुर में उन्होंने अपील न्यायालय में अपील दायर की है, हालाँकि उन्होंने अपील न्यायालय का कोई स्थगन आदेश रिकॉर्ड पर नहीं रखा है।मान लीजिए, पुरस्कार को लागू किया जा सकता है।

च

जी.

2. याचिकाकर्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय में विदेशी फैसले को लागू करने के लिए कार्यवाही दायर की।उत्तरदाताओं ने नहीं।1 ए में 15 तक

एच.

97

विनय प्रकाश सिंह बनाम समीर गेहलौत और हमारा। [दीपाक गुप्ता, जे.] ए.

एसएलपी ने इस पर आपत्ति जताई और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 48 के तहत आपत्तियां दायर कीं।इन आपत्तियों को खारिज कर दिया गया था सिवाय इसके कि उत्तरदाता नं। उच्च न्यायालय के समक्ष 5 और 9 से 12 चिंतित थे क्योंकि ये प्रतिवादी नाबालिग थे।उच्च न्यायालय के फैसले की चुनौती को इस न्यायालय द्वारा

2018 के एसएलपी (सी) No.4276 में 16.02.2018 पर खारिज कर दिया गया है। 3.मुद्दों पर विस्तार से विचार करने से पहले एस. एल. पी. में उत्तरदाताओं से संबंधित विभिन्न संस्थाओं के बीच संबंध की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित चार्ट तैयार करना सहायक होगा जैसा कि एस. ई. बी. आई. के दिनांकित 14.03.2019 के आदेश से परिलक्षित होता हैः

99% 50% 44% 12% 19%	

ग

शिविंदर मोहन सिंह (कथित समकालीन No.10) 99 प्रतिशत शिवि होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। 50 प्रतिशत
शिविंदर मोहन सिंह (कथित समकालीन No.10) 99 प्रतिशत शिवि होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। 50 प्रतिशत
शिविंदर मोहन सिंह (कथित समकालीन No.10) 99 प्रतिशत शिवि होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। 50 प्रतिशत

शिविंदर मोहन सिंह (कथित समकालीन No.10) 99 प्रतिशत शिवि होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। 50 प्रतिशत
मालविंदर मोहन सिंह (कथित समकालीन संख्या 9)

	मालव होल्डिंग्स प्रा. लि.
आर. एच. सी. होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड (एस. एल. पी. में उत्तरदाता संख्या 8)	
फोर्टिस हेल्थकेयर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड	ऑस्कर इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड (एसएलपी में उत्तरदाता संख्या 1)
फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड	आर. एच. सी. फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

डी.

12%

81%

ई.

52%

67%

33%

च

100%

6%

22%

16%

6%

फोर्टिस हेल्थकेयर

रेलिगेयर

लि.

एंटरप्राइजेज लिमिटेड

जी.

85%

रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड

एच.

यह चार्ट स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि 31 मार्च, 2017 तक मालविंदर मोहन सिंह (एम. एम. एस.) और शिविंदर मोहन सिंह (एस. एम. एस.) ऑस्कर इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड (ओ. आई. एल.) और आर. एच. सी. होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड (आर. एच. सी.) के माध्यम से फोर्टिस हेल्थकेयर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड (एफ. एच. एच. पी. एल.) में हिस्सेदारी रखते थे, जिसकी फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड (एफ. एच. एल.) में बहुमत हिस्सेदारी थी।

दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पहला आश्वासन

4. प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान, याचिकाकर्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष 2016 का आई. ए. No.6558 दायर किया जिसमें प्रार्थना की गई कि प्रत्यर्थियों को उनकी संपत्ति को अलग करने या बोझ डालने से रोका जाए।याचिकाकर्ता ने आशंका व्यक्त की कि प्रतिवादी अपनी संपत्ति को नष्ट कर देंगे जिससे पुरस्कार अप्रवर्तनीय हो जाएगा।श्री कपिल सिब्बल पर, उत्तरदाताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया कि याचिकाकर्ता के हितों की रक्षा की जाएगी। हालाँकि यह आश्वासन न्यायालय द्वारा दर्ज नहीं किया गया था, लेकिन यह याचिकाकर्ता के लिए वकील द्वारा भेजे गए पत्र का एक हिस्सा है, जिसका प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

डी.

" 1 ...इसके अलावा, यह निर्देश देते हुए कि, अन्य बातों के साथ-साथ, 29 अप्रैल 2016 के मध्यस्थता पुरस्कार को गोपनीय रखा जाए, माननीय न्यायालय द्वारा विद्वान वरिष्ठ वकील श्री कपिल सिब्बल (प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित) द्वारा दिए गए विधिवत निर्देशित मौखिक आश्वासन के बल पर एक औपचारिक सुरक्षात्मक आदेश पारित नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ता के हित को 29 अप्रैल 2016 के मध्यस्थता पुरस्कार के तहत दी गई कुल राशि की सीमा तक संरक्षित किया जाएगा, और इसमें कोई औचित्य नहीं होगा।श्री कपिल सिब्बल ने यह भी कहा था कि आदेश में उनका व्यक्तिगत बयान दर्ज करने से भी शेयर बाजार में उत्तरदाताओं की रुचि प्रभावित होगी क्योंकि उनके कुछ ग्राहक शेयर बाजार में सूचीबद्ध हैं।"

ई.

च

ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थियों ने न्यायालय के समक्ष आग्रह किया था कि उनका आश्वासन न्यायालय के आदेश में दर्ज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे शेयर बाजार में उनके शेयरों का मूल्य प्रभावित हो सकता है।उत्तरदाताओं द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय को दिया गया यह पहला आश्वासन था।यह उल्लेख करना उचित होगा कि यह तथ्य कि ऐसा आश्वासन दिया गया था, उच्च न्यायालय के दिनांक 2 के आदेश में भी दर्ज किया गया है जिसमें 1 से 4 और 13 तक उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री हरीश एन. साल्वे ने न्यायालय को दिए गए आश्वासन को दोहराया जैसा कि दिनांक 1 के पत्र में दर्ज है।

जी.

एच.

99

विनय प्रकाश सिंह बनाम समीर गेहलौत और हमारा। [दीपाक गुप्ता, जे.] ए.

क.

दूसरा आश्वासन

5. आई. डी. 1 पर, दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओं को अपनी अचल संपत्तियों के विवरण का खुलासा करने और उन संपत्तियों के विवरण का खुलासा करने का निर्देश देते हुए एक आदेश पारित किया, जिन्हें दूसरे पक्ष को हस्तांतरित कर दिया गया है।ऐसा प्रतीत होता है कि इस अवधि के दौरान विभिन्न समाचार पत्रों में खबरें आईं कि उत्तरदाता सहायक कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी का निपटान कर रहे थे और अपनी संपत्ति का गुप्त रूप से निपटान भी कर रहे थे।बिना किसी विकल्प के, याचिकाकर्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष 2017 की आई. ए. संख्या 618 के रूप में एक अंतर्वर्ती आवेदन दायर किया जिसमें निम्नलिखित अनुरोध किया गया थाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

क."प्रत्यर्थियों को दिल्ली उच्च न्यायालय के पंजीयक के पास जमा करके या पर्याप्त प्रतिभूति प्रदान करके या बैंक गारंटी द्वारा या किसी अन्य माध्यम से पुरस्कार राशि को सुरक्षित करने का निर्देश देते हुए तत्काल एक आदेश पारित करें जिसे यह माननीय न्यायालय उचित समझे;

ग

बी। उत्तरदाताओं की चल और अचल संपत्तियों और संपत्तियों की कुर्की का निर्देश देते हुए एक आदेश पारित करें, और ऐसी कोई भी संपत्ति और संपत्ति जिसमें उत्तरदाताओं का कोई लाभकारी हित है, वर्तमान याचिका के निपटारे तक, कम से कम पुरस्कार में दी गई राशि की सीमा तक;

डी.

ई.

ग. प्रत्यर्थियों और उनकी समूह कंपनियों को उनकी चल या अचल संपत्तियों/परिसंपत्तियों को किसी भी तरह से बेचने, अलग करने या बोझ डालने से रोकने का आदेश पारित करें।

घ. उपरोक्त प्रार्थना (क), (ख) और (ग) के संदर्भ में एकतरफा, विज्ञापन अंतरिम आदेश पारित करें और उत्तरदाताओं को नोटिस देने के बाद इसकी पुष्टि करें।

च

दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष कुछ उत्तरदाताओं के वरिष्ठ वकील श्री हरीश एन. साल्वे ने दिनांकित पत्र में दिए गए आश्वासन को दोहराया और सभी उत्तरदाताओं की संपत्ति का विवरण देते हुए एक उत्तरदाता द्वारा एक हलफनामा प्रस्तुत करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा।यह दूसरा आश्वासन था।

जी.

तीसरा आश्वासन

6. जानकारी उच्च न्यायालय द्वारा मांगे गए तरीके से प्रदान नहीं की गई थी जो दिनांक 06.03.2017 के आदेश में परिलक्षित होती है।द.

एच.

आदेश में लिखा है कि प्रत्यर्थियों को निर्देश दिया गया है कि वे सभी अचल और चल संपत्तियों का विवरण दें, न कि केवल निवेश, ऋण और अग्रिमों की सूची, जैसा कि प्रत्यर्थियों द्वारा दायर हलफनामे में दर्शाया गया है।उत्तरदाताओं को और विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था और उत्तरदाताओं के वकील ने प्रस्तुत किया था कि यह 1 सप्ताह के भीतर किया जाएगा। उच्च न्यायालय ने अपने दिनांकित 06.03.2017 आदेश में निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“8. न्यायालय यह स्पष्ट करना चाहेगा कि 23 जनवरी 2017 के आदेश के संदर्भ में जो प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी, प्रत्यर्थी द्वारा उपरोक्त समझ सही नहीं है।वास्तव में प्रत्यर्थियों को केवल निवेश और ऋण और अग्रिमों के अलावा सभी अचल और चल परिसंपत्तियों से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी।"7. डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी और श्री राजीव नायर पर, प्रत्यर्थियों की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील ने एक बयान दिया कि सभी बिना ऋण वाली संपत्तियों का पूरा विवरण/विवरण एक सप्ताह के भीतर पंजीयक के समक्ष दायर किया जाएगा।उत्तरदाताओं के चार्टर्ड एकाउंटेंट के प्रमाण पत्र भी निम्नलिखित विवरण देते हुए दाखिल करने का निर्देश दिया गया था:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

डी.

((i) उत्तरदाता 14 और 19 की चल और अचल दोनों परिसंपत्तियों सहित सभी बिना ऋण वाली परिसंपत्तियों का मूल्य, पुस्तक मूल्य के साथ-साथ उचित मूल्य दोनों;

ई.

((ii) जहां इन परिसंपत्तियों में इक्विटी शेयरों, वरीयता शेयरों और डिबेंचरों में निवेश शामिल हैं, यह इंगित करने के लिए कि ये निवेश उत्तरदाताओं की संबंधित/समूह संस्थाओं और उन कंपनियों में किस हद तक हैं जिनके शेयर सूचीबद्ध हैं और इनमें से किस शेयर को पहले इनकार करने का अधिकार है।

च

(iii) इस बारे में स्पष्टीकरण कि तुलनपत्र में परिलक्षित कितना उधार कंपनियों की वर्तमान और भविष्य की वर्तमान परिसंपत्तियों पर समान ऋण शुल्क के माध्यम से सुरक्षित किया जाता है।"

जी.

न्यायालय ने डॉ. ए. एम. सिंघवी और श्री राजीव नायर के निम्नलिखित प्रभाव वाले बयान को फिर से नोट कियाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“12. डॉ. सिंघवी और श्री नायर दोनों का कहना है कि यदि किसी भी असंबद्ध संपत्ति की स्थिति में कोई बदलाव प्रस्तावित किया जाता है, जिसका ए

एच.

101

विनय प्रकाश सिंह बनाम समीर गेहलौत और हमारा। [दीपाक गुप्ता, जे.] ए.

विवरण यहाँ दिए गए निर्देश के अनुसार प्रस्तुत किए जाने हैं, इससे पहले, उत्तरदाता पहले न्यायालय में आवेदन करेंगे।"

उत्तरदाताओं की ओर से यह तीसरा आश्वासन था।

चौथा आश्वासन

8. ओ. आई. एल. और आर. एच. सी. ने बिना ऋण वाली परिसंपत्तियों और निवेशों के मूल्य का खुलासा करते हुए प्रमाण पत्र दाखिल किए।आई. डी. 1 पर ओ. आई. एल. के पास आई. डी. 2 करोड़ के बही मूल्य और आई. डी. 3 करोड़ के उचित मूल्य की परिसंपत्तियां थीं।संबंधित/समूह संस्थाओं सहित सूचीबद्ध संस्थाओं में ओ. आई. एल. के बिना ऋण वाले निवेशों का उचित मूल्य 854.64 करोड़ था।जहां तक आर. एच. सी. का संबंध है, बिना ऋण वाली परिसंपत्तियों का बही मूल्य 6 करोड़ रुपये और उचित मूल्य 2 करोड़ रुपये बताया गया है।बिना ऋण वाले निवेशों का उचित मूल्य 3246.76 करोड़ के रूप में दिखाया गया था।इसलिए, उत्तरदाताओं द्वारा यह अनुमान लगाया गया था कि इन दोनों कंपनियों का शुद्ध मूल्य था जो याचिकाकर्ता द्वारा दावा की गई राशि से बहुत अधिक था।

ग

डी.

9. जैसा कि पहले बताया गया है कि एफ. एच. एल. एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसमें ओ. आई. एल. और आर. एच. सी. के पास मार्च, 2017 तक अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, फोर्टिस हेल्थकेयर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (एफ. एच. एच. पी. एल.) के माध्यम से 52.20% की बहुमत हिस्सेदारी थी।25.05.2017 पर, FHL ने अपने शेयरधारकों को यह प्रस्ताव देते हुए नोटिस जारी किया कि विदेशी निवेशकों की शेयरधारिता बढ़ाई जाएगी।इसके तुरंत बाद, याचिकाकर्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष 2017 का आई. ए. No.7142 दायर कर अनुरोध किया कि ओ. आई. एल. और आर. एच. सी. को एफ. एच. एच. पी. एल. में उनकी 100% हिस्सेदारी को कम करने से रोका जाए और अप्रत्यक्ष रूप से एफ. एच. एच. एल. के

शेयरों को एफ. एच. एल. में स्थानांतरित करने से रोका जाए। यह प्रार्थना की गई कि इन दोनों कंपनियों को एफ. एच. एच. पी. एल. में अपनी 52 प्रतिशत हिस्सेदारी बनाए रखने का निर्देश दिया जाए। इस बीच, एफ. एच. एल. द्वारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बी. एस. ई.) को किए गए खुलासे से पता चला कि एफ. एच. एल. में एफ. एच. एच. पी. एल. की हिस्सेदारी गिरकर 45.7% हो गई थी।

ई.

च

10. आई. डी. 1 पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में दर्ज किया कि ओ. आई. एल. और आर. एच. सी. दोनों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि वे अदालत में प्रकट की गई किसी भी बिना ऋण वाली संपत्ति की स्थिति को बदलने की मांग नहीं कर रहे हैं और दिनांकित आई. डी. 2 के आदेश के संदर्भ में प्रकट की गई हिस्सेदारी प्रभावित नहीं होगी।बयान को उच्च न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड में लिया गया और इस बयान के संदर्भ में आवेदन का निपटारा किया गया।इसका प्रभावी अर्थ यह था कि न्यायालय ने ओ. आई. एल. और आर. एच. सी. को एफ. एच. एच. पी. एल. के माध्यम से एफ. एच. एल. में अपनी हिस्सेदारी किसी भी तरह से कम करने से रोक दिया था।प्रासंगिक भाग

जी.

एच.

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 19.06.2017 द्वारा पारित आदेश इस प्रकार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“5. उत्तरदाता नं. के लिए अनुभवी वरिष्ठ वकील।14 और 19 यह प्रस्तुत करता है कि वे अदालत में प्रकट की गई किसी भी असंबद्ध संपत्ति की स्थिति को बदलने की मांग नहीं कर रहे हैं और केवल विवादित प्रस्ताव को पारित करके, दिनांक 06.03.2017 के आदेश के संदर्भ में प्रकट की गई शेयरधारिता प्रभावित नहीं होगी।

6. बयान को रिकॉर्ड में लिया जाता है।

7. उपरोक्त कथन को ध्यान में रखते हुए**,** आवेदन का निपटारा कर दिया जाता है।**"**

ग

यह उत्तरदाताओं द्वारा दिया गया चौथा आश्वासन था।

पाँचवाँ आश्वासन**/**उपक्रम

11. यह आदेश पारित होने के बावजूद, ऐसा प्रतीत होता है कि एफ. एच. एल. में एफ. एच. एच. पी. एल. के माध्यम से ओ. आई. एल. और आर. एच. सी. की हिस्सेदारी को कम करने का प्रयास किया गया था। अदालत द्वारा आदेश पारित किए जाने के एक दिन बाद आई. एच. एच. हेल्थकेयर बी. एच. डी. पर एक समाचार पत्र की रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। (मलेशियाई कंपनी) एफ. एच. एल. में 26 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए तैयार थी।

डी.

12. इसके बाद, याचिकाकर्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना याचिका दायर की जिसमें आरोप लगाया गया कि 06.03.2017 और 19.06.2017 के आदेशों का उल्लंघन किया गया है।यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा

21.06.2017 पर उठाया गया था।उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थियों 14 और 19 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील का वचन फिर से दर्ज किया, जिसके द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया गया कि ओ. आई. एल. और आर. एच. सी. द्वारा रखे गए शेयरों का मूल्य जो 452.60 करोड़ और 1889.30 करोड़ के रूप में प्रकट किया गया है, किसी भी तरह से बाधित या कम नहीं किया जाएगा।आदेश का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः- "9. प्रत्यर्थी नं. के लिए उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील।14 और 19 ने प्रस्तुत किया कि फोर्टिस हेल्थकेयर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड में इक्विटी शेयर वाली बिना ऋण वाली संपत्ति का मूल्य रु। 452.60 उत्तरदाता सं. द्वारा करोड़।14 और रु. 1889.30 करोड़ उत्तरदाता सं।19.

ई.

च

जी.

10. प्रत्यर्थी No.14 और 19 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील यह वचन देते हैं कि, उक्त प्रत्यर्थी द्वारा किए गए किसी भी लेन-देन के बावजूद, अदालत को बताए गए मूल्य में किसी भी तरह से बाधा या कमी नहीं आएगी।

एच.

103

विनय प्रकाश सिंह बनाम समीर गेहलौत और हमारा। [दीपाक गुप्ता, जे.] ए.

क.

11. प्रत्यर्थी सं. के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील के उपरोक्त कथन का प्रभाव।14 और 19 रुपये का योग है। 2341.90 करोड़ (यानी रु. 452.60 + रु। 1889.30 करोड़) हमेशा उपलब्ध और प्रत्यर्थी संख्या की संपत्ति के रूप में प्राप्त करने योग्य होगा।14 और 19, फोर्टिस हेल्थकेयर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड में, जब और जब ऐसे चरण उत्पन्न होते हैं तो अवमूल्यन राशि की संतुष्टि की दिशा में।

12 .बयान को रिकॉर्ड में लिया जाता है और उपक्रम को स्वीकार कर लिया जाता है।"

यह वचन दिल्ली उच्च न्यायालय को प्रत्यर्थियों द्वारा दिया गया पांचवां आश्वासन है।

ग

इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही

13. दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित आदेश को याचिकाकर्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी और याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क यह था कि प्रतिवादियों द्वारा समय-समय पर उपक्रमों का उल्लंघन करने के बावजूद प्रतिबंध आदेश पारित नहीं किए जा रहे थे।याचिकाकर्ता द्वारा दायर 2017 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) No.20417 में इस न्यायालय ने 11.08.2017 पर निम्नलिखित आदेश पारित कियाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

डी.

"अंतरिम में यह निर्देश दिया जाता है कि फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड में फोर्टिस हेल्थकेयर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड की हिस्सेदारी के संबंध में आज की स्थिति को बनाए रखा जाएगा।" एफ. एच. एच. पी. एल. द्वारा बी. एस. ई. और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एन. एस. ई.) को किए गए वैधानिक खुलासों के अनुसार, यह खुलासा किया गया था कि एफ. एच. एल. में एफ. एच. एच. पी. एल. के शेयरों को इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (आई. एच. एफ. एल.) के पक्ष में गिरवी रखा गया था।

ई.

च

14. याचिकाकर्ता ने 2017 की डायरी No.27334 के रूप में एक अवमानना याचिका दायर की जिसमें आरोप लगाया गया कि 14.08.2017 पर गिरवी रखने में उत्तरदाताओं का आचरण दिनांकित 11.08.2017 आदेश का उल्लंघन है इस बीच 21.08.2017 पर, ओआईएल ने अपने ऋणों का भुगतान करने के लिए भारित शेयरों की बिक्री की अनुमति देने के निर्देशों के लिए 2017 का आई. ए. 77497 के रूप में एक आवेदन दायर किया और यह भी अनुरोध किया कि एक स्पष्टीकरण जारी किया जाए कि 11.08.2017 दिनांकित आदेश बैंकों और वित्तीय संस्थानों को गिरवी रखे गए शेयरों के अलावा अन्य शेयरों तक सीमित है।2017 के आई. ए. 77497 में, ओ. आई. एल. ने निम्नानुसार कहा थाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

जी.

" 24 .यह इन परिस्थितियों में है कि प्रतिवादी कंपनी इस माननीय न्यायालय से एक निर्देश चाहती है कि आदेश दिनांकित किया गया है।

एच.

104

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 17 एस सी आर।

11 इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित अगस्त 2017 बैंकों और वित्तीय संस्थानों को गिरवी रखे गए शेयरों के अलावा अन्य शेयरों तक सीमित है, जिनकी बिक्री गिरवी (ओं) की पूर्व सहमति प्राप्त करने के बाद की जा रही है।

25. यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त निर्देश का किसी भी स्थिति में संभावित लेनदारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इन निधियों की उपलब्धता से केवल ऋण को कम करने में मदद मिलेगी।इससे केवल उत्तरदाताओं द्वारा रखे गए शेयरों का मूल्य बढ़ेगा।"

इसी तरह का आवेदन 2017 का आई. ए. No.76959 समान पैराग्राफ 24 और 25 के साथ आर. एच. सी. द्वारा दायर किया गया था।

ग

15. 31.08.2017 पर, इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्देश दियाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

"चूंकि वर्तमान विशेष अनुमति याचिका 23 अक्टूबर, 2017 को पूर्ण विचार के लिए आने वाली है, इसलिए हम इस स्तर पर उठाए गए मुद्दों पर गहराई से विचार करना आवश्यक नहीं समझते हैं क्योंकि इसका जवाब देने के लिए उतना ही समय लगेगा जितना मामले की सुनवाई और अंत में निर्णय लेने के लिए आवश्यक होगा।इसलिए हम इस मामले में कोई भी आदेश पारित करने से इनकार करते हैं, सिवाय इसके कि इस न्यायालय के 11 अगस्त, 2017 के अंतरिम आदेश का उद्देश्य फोर्टिस हेल्थकेयर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रखे गए फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड के भारित और भारित शेयरों दोनों के संबंध में होना था।नतीजतन, ऊपर बताई गई सीमा तक शेयरों का कोई हस्तांतरण नहीं होगा।

डी.

ई.

पार्टियाँ इस बीच दलीलें पूरी कर सकती हैं।

जैसा कि हमने अब 11 अगस्त, 2017 के इस न्यायालय के पिछले आदेश को स्पष्ट कर दिया है कि अवमानना का कोई मामला नहीं बनता है।हालाँकि, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि वर्तमान आदेश और उपरोक्त स्पष्टीकरण अब से पक्षों के अधिकारों को नियंत्रित करेगा।अवमानना याचिका का तदनुसार निपटारा किया जाता है।"

च

16. इस तारीख को अवमानना याचिका का निपटारा किया गया था और साथ ही यह उल्लेख किया गया था कि आदेश और उसमें निहित स्पष्टीकरण अब से पक्षों के अधिकारों को नियंत्रित करेगा।11.08.2017 और 31.08.2017 दिनांकित आदेश को बाद में इस न्यायालय द्वारा 15.02.2018 दिनांकित आदेश के माध्यम से स्पष्ट किया गया था जो इस प्रकार हैः- - प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

जी.

"पक्षों के विद्वान वकीलों को सुनने के बाद, हम 11 अगस्त, 2017 और 31 अगस्त, 2017 के अपने अंतरिम आदेशों को स्पष्ट करते हैं, जिसका अर्थ है कि दी गई यथास्थिति ए के शेयरों पर लागू नहीं होगी।

एच.

105

विनय प्रकाश सिंह बनाम समीर गेहलौत और हमारा। [दीपाक गुप्ता, जे.] ए.

फोर्टिस हेल्थकेयर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा धारित फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड को 11 अगस्त, 2017 और 31 अगस्त, 2017 के इस न्यायालय के अंतरिम आदेशों पर या उससे पहले बोझ डाला गया होगा।

निर्देशों के लिए आवेदनों का निपटान उपरोक्त शर्तों में किया जाता है।"

यह उल्लेख करना उचित होगा कि 23.02.2018 पर, इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

"इस न्यायालय का 15 फरवरी, 2018 का अंतरिम आदेश तब तक जारी रहेगा जब तक कि उच्च न्यायालय मामले का फैसला नहीं कर लेता।"17. इंडियाबुल्स वेंचर्स लिमिटेड (आई. वी. एल.) के लिए 06.09.2018 से 18.09.2018 की अवधि के दौरान, जिसके साथ एफ. एच. एच. पी. एल. एफ. एच. एल. द्वारा आई. एच. एफ. एल. को रखे गए एफ. एच. एल. के 12,25,000 शेयरों को हस्तांतरित करने के लिए एक डीमैट खाता रखता है। अक्टूबर, 2018 में दायर वर्तमान अवमानना याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि शेयरों का यह हस्तांतरण 11.08.2017,31.08.2017,15.02.2018 और 23.02.2018 के आदेशों की अवमानना थी।

ग

डी.

18. हम अवमानकों को दो समूहों में विभाजित कर सकते हैं।एक समूह अवमानक 1 से 8 तक और अवमानक का दूसरा समूह 9 से 15 तक होता है।समकालीन 1 और 5 और 2 और 6 एक ही हैं, जिनके नाम समीर गहेलौत और गगन बंगा हैं।उन्हें आई. एच. एफ. एल. और आई. वी. एल. के निदेशकों के रूप में दो बार अलग-अलग नियुक्त किया गया है। जहां तक दूसरे सेट का संबंध है, हम केवल मालविंदर मोहन सिंह (अवमानक एन. ओ. एस.) के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए इच्छुक हैं। 9 और 12) और शिविंदर मोहन सिंह (अवमानक एन. ओ. एस. 10 और 13) दोनों को ऑस्कर इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के निदेशक और आर. एच. सी. होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक के रूप में दो बार अलग-अलग नियुक्त किया गया है।

ई.

च

समकालीन संख्या **1** से **8**

19. हम पहले इस मुद्दे से निपटेंगे कि क्या अवमानना या एन. ओ. एस.। 1 से 8 ने उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन किया है। अवमानना संख्या का रुख।1 8 तक यह है कि आई. एच. एफ. एल. द्वारा एम. एम. एस. और एस. एम. एस. द्वारा नियंत्रित विभिन्न कंपनियों को ऋण सुविधाएं प्रदान की गई थीं। निष्पादित ऋण समझौतों और अन्य दस्तावेजों के अनुसार, उधारकर्ता ने

शेयरों सहित अपनी अचल और चल संपत्तियों पर बोझ डाला।कुछ शेयरों को गिरवी रखा गया था या ऋण के पुनर्भुगतान के लिए शुल्क लिया गया था और आई. एच. एफ. एल. को उधारकर्ता (ओं) के संदर्भ के बिना इन भारित शेयरों को बेचने का अधिकार दिया गया था।अवमानकों का रुख संख्या।1 8 से यह है कि

जी.

एच.

उधारकर्ताओं के पास आई. वी. एल. के साथ अपने शेयरों का एक डीमैट खाता था और आई. एच. एफ. एल. के पक्ष में एक पावर ऑफ अटॉर्नी दिनांक आई. डी. 1 जारी किया गया था जो इसे डीमैट खाते से शेयरों को स्थानांतरित करने की अनुमति देता था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रतिभूति का मूल्य बकाया राशि से मेल खाता है।दिनांकित 30.11.2016 ऋण समझौते के अनुसार एक और दिनांकित पावर ऑफ अटॉर्नी है जो 03.12.2016 पर पंजीकृत प्रतीत होता है।आई. एच. एफ. एल. के अनुसार, 11.08.2017 के बाद गिरवीदार द्वारा निर्दिष्ट डीमैट खाते में कोई शेयर जमा नहीं किया गया था।

20. यह उल्लेख करना उचित होगा कि आई. एच. एफ. एल. ने अक्टूबर, 2017 में 31.08.2017 के आदेश के स्पष्टीकरण के लिए एक आवेदन दायर किया था।आई. एच. एफ. एल. का रुख यह है कि उन्होंने 11.08.2017 के बाद किसी भी शेयर को हस्तांतरित नहीं किया है।याचिकाकर्ता का मामला यह है कि 12,25,000 शेयरों को सितंबर, 2018 में हस्तांतरित किया गया था।आई. एच. एफ. एल. द्वारा भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया गया है। हालांकि, आई. एच. एफ. एल. के अनुसार यह ऋण दस्तावेज के अनुसार आई. एच. एफ. एल. द्वारा आई. वी. एल. को जारी किए गए निर्देशों के आधार पर किया गया था, जिसमें एक पावर ऑफ अटॉर्नी दिनांक 28.11.2016 भी शामिल है।एम. एम. एस. और आर. एच. सी. का रुख यह है कि आई. एच. एफ. एल. ने इन हस्तांतरणों को करने के लिए कुछ पूर्व-हस्ताक्षरित निर्देश पर्ची का उपयोग किया लेकिन आई. एच. एफ. एल. ने इन तथ्यों का खंडन किया। आई. एच. एफ. एल. द्वारा रिलायंस को ऊपर उद्धृत 15.02.2018 दिनांकित आदेश पर भी रखा गया है।

ग

डी.

21. मुख्य मुद्दा यह है कि क्या ये 12,25,000 शेयर 11.08.2017 से पहले गिरवी रखे गए थे या नहीं।इस स्तर पर यह उल्लेख करना उचित होगा कि आई. एच. एफ. एल. का यह रुख कि 11.08.2017 के बाद कोई प्रतिज्ञा नहीं की गई थी, गलत है।एफ. एच. एच. पी. एल. द्वारा बी. एस. ई. और एन. एस. ई. को 21.08.2017 पर किए गए प्रकटीकरण से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि एफ. एच. एच. पी. एल. द्वारा रखे गए एफ. एच. एल. के 30,59,260 शेयरों को आई. एच. एफ. एल. के पक्ष में 14.08.2017 पर गिरवी रखा गया था। 21.08.2017 का यह खुलासा रिकॉर्ड का एक हिस्सा है और आई. एच. एफ. एल. द्वारा विशेष रूप से इनकार नहीं किया गया है।

ई.

च

22. हम बता सकते हैं कि अक्टूबर 2017 तक आई. एच. एफ. एल. का प्रतिनिधित्व इस अदालत में नहीं किया गया था। हालाँकि, 16.08.2017 और 31.08.2017 पर ईमेल के माध्यम से आर. एच. सी. ने आई. एच. एफ. एल. को इस न्यायालय द्वारा पारित यथास्थिति आदेश के बारे में सूचित किया।इस प्रकार, आई. एच. एफ. एल. यह दावा नहीं कर सकता कि उन्हें इस न्यायालय के आदेशों की जानकारी नहीं थी।हालांकि, रिकॉर्ड पर सामग्री से विशेष रूप से ओआईएल, आरएचसी, एमएमएस और एस. एम. एस. द्वारा दायर उत्तरों से यह स्पष्ट है कि 06.09.2018,07.09.2018,08.09.2018 आई. एच. एफ. एल. ने एफ. एच. एच. पी. एल. द्वारा रखे गए एफ. एच. एल. के शेयरों को 6,00,000 हस्तांतरित किया। जब आर.

एच. सी. को इन स्थानान्तरणों के बारे में पता चला, तो उसने तुरंत आई. एच. एफ. एल. को सूचित किया कि स्थानांतरण इस अदालत द्वारा 11.09.2017 पर पारित आदेशों का उल्लंघन था।11.09.2018 दिनांकित संचार के बावजूद, आई. एच. एफ. एल. ने ए के शेयरों का हस्तांतरण जारी रखा।

जी.

एच.

107

विनय प्रकाश सिंह बनाम समीर गेहलौत और हमारा। [दीपाक गुप्ता, जे.] ए.

एफ. एच. एच. पी. एल. द्वारा 11.09.2018,12.09.2018,14.09.2018,17.09.2018 और 18.09.2018 पर आयोजित एफ. एच. एल.।24.09.2018 पर, इस अदालत को सूचित किया गया कि IHFL ने अदालत के आदेशों का उल्लंघन करते हुए FHL में FHHPL द्वारा रखे गए 12,25,000 शेयरों को हस्तांतरित कर दिया था।29.09.2018 पर, 9,04,760 शेयरों का एक और लेनदेन हुआ था।मुख्य मुद्दा यह है कि क्या 12,25,000 शेयरों पर बोझ डाला गया था या नहीं।

23. एफ. एच. एल. एक सार्वजनिक कंपनी है और एक सूचीबद्ध कंपनी होने के नाते, उसे स्टॉक एक्सचेंज को अपने शेयरधारिता पैटर्न का खुलासा करना पड़ता है।एफ. एच. एल. में एफ. एच. एच. पी. एल. के शेयर होल्डिंग पैटर्न को दिखाने वाला एक चार्ट विभिन्न चरणों में होल्डिंग की स्थिति दिखाएगाः

एस. नहीं।	तिमाही समाप्ति	कुल शेयर	एन्कम्बर्ड शेयर	एफ. एच. एल. में एफ. एच. एच. पी. एल. की बिना ब्याज वाली हिस्सेदारी
1	सितंबर 2016	32,50,91,529	27,21,59,955	5,29,31,574
2	दिसंबर 2016	32,50,91,529	25,22,63,248	7,28,28,281
3	28 जनवरी 2017	32,50,91,529	25,19,23,248	7,31,68,281
4	मार्च 2017	27,02,41,529	23,18,01,440	3,84,40,089
5	जून 2017	22,22,11,701	18,38,96,484	3,83,15,217
6	सितम्बर 2017	17,80,26,597	17,53,94,820	26,31,777
7	दिसंबर 2017	17,80,26,597	17,53,94,820	26,31,777
8	मार्च 2018	34,20,451	6,89,084	27,31,367
9	जून 2018	32,82,851	5,51,484	27,31,367
10	सितम्बर 2018	11,53,091	5,51,484	6,01,607
11	दिसंबर 2018	11,53,091	5,51,484	6,01,607

ग

डी.

ई.

च

जी.

यह सच है कि हमें यह तय करना है कि क्या इस न्यायालय के आदेशों की कोई अवज्ञा हुई है, लेकिन ऐसा करते समय हम दिल्ली उच्च न्यायालय और उपरोक्त चार्ट के समक्ष कार्यवाही का संदर्भ देंगे ताकि यह दिखाया जा सके कि कैसे दोनों उत्तरदाताओं ने अदालतों के आदेशों का उल्लंघन किया है।जैसा कि ऊपर बताया गया है, 19.06.2017 पर सीखा गया

एच.

ओ. आई. एल. और आर. एच. सी. के वकील ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक बयान दिया था कि अदालत को बताई गई गैर-परिसंपत्तियों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और दिनांक 1 के आदेश के संदर्भ में बताई गई शेयरधारिता प्रभावित नहीं होगी।जब याचिकाकर्ता को लगा कि इस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है, तो उसने दिल्ली उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की।दो दिनों के भीतर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उसे दिए गए वचन के आधार पर एक और आदेश पारित किया गया।24. उपरोक्त चार्ट से पता चलता है कि जून 2017 को समाप्त तिमाही में, एफएचएल में एफएचएचएल के कुल शेयर 22,22,11,701 थे और भारित शेयर 18,38,96,484 थे।केवल 3,83,15,217, बिना नंबर वाले थे।

ग

25. इस न्यायालय ने 11.08.2017 पर निर्देश दिया कि एफ. एच. एल. में एफ. एच. एच. पी. एल. की हिस्सेदारी के संबंध में यथास्थिति बनी रहे।31.08.2017 पर यह स्पष्ट किया गया था कि आदेश भारित और गैर-भारित दोनों शेयरों पर लागू होगा।14.08.2017,30,59,260 पर, आई. एच. एफ. एल. के पक्ष में बिना ऋण वाले शेयरों को गिरवी रखा गया था। जहां तक दिनांकित 11.08.2017 आदेश के इस उल्लंघन का संबंध है, दिनांकित 31.08.2017 आदेश को देखते हुए, इसे माफ कर दिया जाता है।इसका मतलब यह होगा कि बिना ऋण वाले शेयरों को घटाकर 3,52,55,957 कर दिया जाना चाहिए था। 26.हालांकि, सितंबर 2017 के आंकड़े पूरी तरह से अलग स्थिति दिखाते हैं।कुल शेयरधारिता गिरकर 17,80,26,597 हो गई है और बिना ऋण वाले शेयर 26,31,777 हो गए हैं।इसका मतलब है कि 14.08.2017,3,26,24 पर गिरवी रखे गए 30,59,260 शेयरों के अलावा, इस अवधि के दौरान 180 शेयरों को भारित या हस्तांतरित किया गया था।ओ. आई. एल., आर. एच. सी., एम. एम. एस. या एस. एम. एस. द्वारा इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि अदालतों के आदेशों का पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए इन बिना ऋण वाले शेयरों को कैसे जमा किया गया या स्थानांतरित किया गया।

डी.

ई.

च

27. अब हम इस मुद्दे पर विचार करेंगे कि क्या आई. एच. एफ. एल. और आई. वी. एल. ने इस न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन किया था या नहीं?इस मुद्दे को तय करने के लिए, यह निर्धारित करना उचित होगा कि क्या आई. एच. एफ. एल. ने ऐसे किसी भी शेयर का हस्तांतरण किया है जो 14.08.2017 तक भारित नहीं थे।

जी.

28. यह हमें 01.07.2018 और 30.09.2018 के बीच की अवधि के लिए FHL के शेयरधारिता पैटर्न पर लाता है क्योंकि इसी अवधि के दौरान IHFL ने शेयरों का हस्तांतरण किया था।आई. एच. एफ. एल. के अनुसार ये 12,25,000 शेयर उनके पास गिरवी रखे गए थे।न तो 2017 के आई. ए. No.109493 में और न ही अवमानक एन. ओ. एस. द्वारा दायर उत्तर में। 1-8, क्या इस बारे में कोई स्पष्ट कथन है कि विभिन्न प्रतिज्ञाएँ कैसे और कब बनाई गईं।

एच.

109

विनय प्रकाश सिंह बनाम समीर गेहलौत और हमारा। [दीपाक गुप्ता, जे.] ए.

क.

2016 के ऋण दस्तावेजों और 14.08.2017 की प्रतिज्ञा का भी संदर्भ दिया गया है।कथित अवमानक एन. ओ. एस. के अनुसार। 1 से 8 तक, एफ. एच. एल. आई. वी. एल. के साथ एक डीमैट खाता बना रहा था। मामला यह है कि जब आई. एच. एफ. एल. के शेयरों का मूल्य बाजार में गिर गया, तो आई. एच. एफ. एल. के बकाया के बराबर प्रतिभूति बनाने के लिए, आगे के शेयरों को आई. वी. एल. द्वारा आई. एच. एफ. एल. को हस्तांतरित कर दिया गया। यह आग्रह किया जाता है कि एफ. एच. एच. पी. एल. द्वारा आई. वी. एल. और आई. एच. एफ. एल. को 11.08.2017 से पहले दिए गए निर्देशों को देखते हुए ऐसा किया गया था। ये हस्तांतरण एफ. एच. एच. पी. एल. के पावर ऑफ अटॉर्नी धारक के रूप में आई. एच. एफ. एल. द्वारा निष्पादित वितरण निर्देश पर्ची के आधार पर किए गए थे। भले ही यह सच हो, कथित अवमानकर्ता इस न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने के दोषी हैं।आई. डी. 1 का आदेश स्पष्ट रूप से एफ. एच. एच. पी. एल. को आई. एच. एफ. एल. में अपनी हिस्सेदारी बदलने से रोकता है। 31.08.2017 दिनांकित आदेश के माध्यम से, यह स्पष्ट किया गया था कि 11.08.2017 दिनांकित आदेश भारित और गैर-भारित शेयरों दोनों पर लागू होगा।यह केवल 15.02.2018 पर ही स्पष्ट किया गया था कि यह 11.08.2017 और 31.08.2017 से पहले के भारित शेयरों पर लागू नहीं होगा।3 आदेशों को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि कम से कम 31.08.2017 के बाद किसी भी बिना ऋण वाले शेयर से शुल्क नहीं लिया जा सकता है।भले ही एफ. एच. एच. पी. एल. ने आई. वी. एल. को सुरक्षा मूल्य बढ़ाने के लिए अपने डीमैट खाते से शेयरों को स्थानांतरित करने का अधिकार देते हुए पावर ऑफ अटॉर्नी दिया था, लेकिन उस पावर ऑफ अटॉर्नी का उपयोग इस अदालत के आदेशों का उल्लंघन करने के लिए नहीं किया जा सकता था।एफ. एच. एच. पी. एल. जो नहीं कर सका, वह स्पष्ट रूप से उसके प्रतिनिधि या वकील द्वारा नहीं किया जा सका।जिन शेयरों का उपयोग 31.08.2017 के बाद प्रतिभूति को बढ़ाने के लिए किया गया था, वे स्पष्ट रूप से इस तारीख से पहले के बिना ऋण वाले शेयर थे।याचिका स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है और यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देने वाले आदेश की जानबूझकर अवज्ञा के लिए एक लंगड़ा बहाना है, जो संशोधित के रूप में, बिना ऋण वाले शेयरों पर लागू होना था।उत्तरदाताओं को पता था और वे उन कथित समझौतों के बारे में अनभिज्ञता का दावा नहीं कर सकते थे जिनके तहत उन्हें शेयरों के बाजार मूल्य में गिरावट के मामले में प्रतिभूतियों पर टॉप-अप करने की आवश्यकता थी।दूसरे शब्दों में, इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश लागू होना था, भले ही लेनदारों द्वारा रखी गई प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य में गिरावट आई हो।

ग

डी.

ई.

च

29. इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए, हम एफ. एच. एल. द्वारा बी. एस. ई. को किए गए खुलासों का उल्लेख कर सकते हैं। उपरोक्त चार्ट से पता चलता है कि 30.06.2018 समाप्त होने वाली तिमाही में, FHHPL के पास FHL में 32,82,851 शेयर थे, जिनमें से केवल 5,51,484 को ही भारित किया गया था, जिसका अर्थ है कि शेष 27,31,367 बिना भार वाले शेयर थे।30.09.2018 और 31.12.2018 दोनों का खुलासा दर्शाता है कि भारित शेयरों की संख्या में कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन FHL में FHHPL की कुल हिस्सेदारी 32,82,851 से घटकर 11,53,091 हो गई है।इसका मतलब है कि क्या स्थानांतरित किया गया था

जी.

ये 21,29,760 अनएन्कम्बर्ड शेयर थे और एनकम्बर्ड शेयर नहीं थे।इसलिए 12,25,000 शेयरों का लेन-देन बिना ऋण वाले शेयरों से बाहर है क्योंकि 31.03.2018 के बाद, ऋण वाले शेयर 12,25,000 से बहुत नीचे थे।

30. हम इस विवाद में प्रवेश नहीं कर रहे हैं कि क्या शेयरों का हस्तांतरण पूर्व-हस्ताक्षरित पर्ची या पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर वितरण निर्देश पर्ची के आधार पर किया गया था, लेकिन तथ्य यह है कि आधिकारिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि इन शेयरों पर बोझ नहीं डाला गया था और अवमानकर्ता यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई ठोस सामग्री रखने में विफल रहे हैं कि ये 12,25,000 शेयर 31.08.2017 पर या उससे पहले गिरवी रखे गए थे।31. आई. एच. एफ. एल. ने, वास्तव में, इस अदालत के आदेशों का घोर उल्लंघन किया और बिना ऋण वाले शेयरों को भी स्थानांतरित करने के लिए विभिन्न लेनदेन किए। आई. एच. एफ. एल. के लिए उपलब्ध सबसे अच्छा तरीका यह होता कि वह स्थानांतरण करने से पहले स्पष्टीकरण के लिए इस अदालत से संपर्क करे।उन्होंने ऐसा नहीं किया।इसलिए, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि आई. एच. एफ. एल. और आई. वी. एल. और उनके अधिकारी अर्थात एन. ओ. एस. 1 से 8 तक यह अच्छी तरह से जानते हुए कि इस न्यायालय ने एफ. एच. एल. में एफ. एच. एच. पी. एल. के आयोजन के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देते हुए एक आदेश पारित किया था, आदेश का उल्लंघन किया।इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि आई. एच. एफ. एल. और आई. वी. एल. ने इन आदेशों का उल्लंघन किया है और इसलिए, हम मानहानिकारक संख्या पाते हैं।1-8 जो आई. एच. एफ. एल. और आई. वी. एल. के सक्रिय निदेशक हैं, वे जानबूझकर और जानबूझकर इस न्यायालय के आदेशों की अवज्ञा करने के दोषी हैं और उन्हें न्यायालय की अवमानना करने का दोषी पाते हैं।हम उन्हें सजा के सवाल पर सुनेंगे।

ग

डी.

ई.

32. हम लोगों को अपमानित करने का अवसर देते हैं।1-8 आज से आठ सप्ताह के भीतर बी. एस. ई. में 31.08.2017 पर 12,25,000 शेयरों का मूल्य जमा करके अवमानना से खुद को मुक्त करना।यदि उक्त अवमानकर्ता अवमानना से खुद को मुक्त करते हैं, तो हम सजा सुनाते समय एक उदार दृष्टिकोण अपना सकते हैं।

च

समकालीन **9** और **10,12** और **13**

33. अब हम इस बात पर विचार करेंगे कि क्या एम. एम. एस., एस. एम. एस. ने अपनी व्यक्तिगत क्षमता और ओ. आई. एल. और आर. एच. सी. के निदेशकों के रूप में इस न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन किया है। हम अवमाननाकर्ता एन. ओ. एस. के खिलाफ अवमानना कार्यवाही को छोड़ रहे हैं। 11, 14 और 15 क्योंकि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं रखा गया है कि वे दोनों कंपनियों के संचालन के साथ सक्रिय रूप से चिंतित थे।

जी.

34. हमने सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही की अवधि के दौरान एफ. एच. एल. में एफ. एच. एच. पी. एल. की हिस्सेदारी के विस्तृत तथ्य ए.

विनय प्रकाश सिंह बनाम समीर गेहलौत और हमारा। [दीपाक गुप्ता, जे.] ए.

दिसंबर 2018 यहाँ ऊपर है।जहां तक इन अवमानकों का संबंध है, उनके द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय को दिया गया पहला आश्वासन आईडी1 पर था जब उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया कि उनके द्वारा किया गया कोई भी सौदा याचिकाकर्ताओं के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा।30.09.2016 तक, FHHPL के पास 32,50,91, FHL में 529 शेयर थे, जिनमें से 27,21,59,955 शेयर भारित शेयर थे और 5,29,31,574 शेयर गैर-भारित शेयर थे।विभिन्न कारणों से, जून 2017 को समाप्त तिमाही में शेयरों की कुल संख्या गिरकर 22,22,11,701 हो गई और भारित शेयरों की संख्या 18,38,96,484 हो गई और गैर-भारित शेयरों की संख्या लगभग डेढ़ करोड़ शेयरों की गिरावट के साथ 3,83,15,217 हो गई।दिल्ली उच्च न्यायालय को 21.06.2017 पर आश्वासन देने के बाद भी, बिना ऋण वाले शेयरों को भारित या हस्तांतरित किया गया था जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है।

ग

35. याचिकाकर्ता इस न्यायालय में तब आया जब दिनांक 11.08.2017 का आदेश पारित किया गया और दिनांक 31.08.2017 के आदेश द्वारा स्पष्ट किया गया।इस अवधि के दौरान भी एफ. एच. एल. में एफ. एच. एच. पी. एल. की कुल हिस्सेदारी 22,22,11,701 से गिरकर 17,80,26,597 से 4,41,85,104 शेयरों तक गिर गई।एम. एम. एस. और एस. एम. एस. ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि यह कैसे हुआ।अवमानकर्ता यह खुलासा करने के लिए सबसे अच्छे व्यक्ति थे कि यह कैसे हुआ।उन्होंने ऐसा नहीं किया है।हमारे सामने एकमात्र स्पष्टीकरण 14.08.2018 पर 30,59,260 शेयरों की गिरवी रखने के बारे में है।शेयरधारिता में इस भारी गिरावट को नजरअंदाज करना मुश्किल है, लेकिन भले ही हम इसे नजरअंदाज कर दें, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि मार्च 2018 में शेयरधारिता 34,20,451 और अंत में दिसंबर 2018 में 11,53,091 पर कैसे गिर गई।दिल्ली उच्च न्यायालय को दिया गया वचन था कि 19.06.2017 और 21.06.2017 पर शेयरधारिता को बनाए रखा जाएगा।11.08.2017 पर, इस न्यायालय ने उत्तरदाताओं को शेयरधारिता को बदलने से रोक दिया। 11.08.2017 पर, इस न्यायालय ने ऊपर निर्दिष्ट यथास्थिति का आदेश पारित किया।उस विशिष्ट आदेश के बावजूद, 14.08.2017 पर एक प्रतिज्ञा बनाई गई थी।यह इस अदालत के आदेशों का उल्लंघन था।आर. एच. सी. और ओ. आई. एल. ने इस न्यायालय के समक्ष 21.08.2017 पर आवेदन दायर कर आदेश में संशोधन और इस निर्देश के लिए अनुरोध किया कि 11.08.2017 का आदेश उन शेयरों के अलावा अन्य शेयरों तक सीमित हो सकता है जो पहले से ही बैंकों और वित्तीय संस्थानों को गिरवी रखे गए थे।हालाँकि अलग-अलग आवेदन दायर किए गए हैं, दोनों आवेदनों का अनुच्छेद 25 समान है और यहाँ ऊपर उद्धृत किया गया है।

डी.

ई.

च

जी.

36. ये आवेदन हलफनामे पर दायर किए गए थे और इसने इस न्यायालय को यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि दिनांकित 11.08.2017 का आदेश बिना ऋण वाले शेयरों तक सीमित है तो इसका धन की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

एच.

याचिकाकर्ता के हितों की रक्षा करना।इस कथन के आधार पर, दिनांक 1 का आदेश पारित किया गया था और इस न्यायालय ने मामले पर एक उदार दृष्टिकोण अपनाया और बिना कोई कार्रवाई किए अवमानना का निपटारा किया।

37. दुर्भाग्य से, इन अवमानकों के कार्यों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि ये बयान उनका पालन करने के कम से कम इरादे के बिना दिए गए थे।इन अवमानकों ने याचिकाकर्ता के अधिकारों को विफल करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एफ. एच. एल. में अपनी हिस्सेदारी को कम करने की एक सुविचारित योजना पहले ही तैयार कर ली थी।

38. दिए गए स्पष्टीकरण विचार के योग्य नहीं हैं।एस. एम. एस. के अनुसार वह इन कंपनियों के प्रशासन में भी भाग नहीं ले रहा था और धार्मिक सेवा में चला गया था।यह इस तथ्य से गलत साबित होता है कि वह निदेशक मंडल की अधिकांश बैठकों में भाग लेते रहे हैं।दोनों अवमानकों द्वारा लिया गया अगला बचाव यह है कि उन्होंने कंपनियों पर नियंत्रण खो दिया क्योंकि भारित शेयरों को बेच दिया गया था।जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह न केवल भारित शेयर हैं, बल्कि गैर-भारित शेयर भी हैं जिन्हें हस्तांतरित किया गया है।दिसंबर 2017 में, एफ. एच. एल. में एफ. एच. एच. पी. एल. के असंबद्ध शेयर 26,31,777 थे और दिसंबर 2018 में केवल 6,01,607 असंबद्ध शेयर थे।यह किसी भी तरह से संदेह से परे दर्शाता है कि इस न्यायालय के आदेशों का जानबूझकर उल्लंघन किया गया है।यह स्पष्ट है कि अवमानकर्ताओं ने जानबूझकर और स्वेच्छा से एफ. एच. एल. पर नियंत्रण खो दिया। 39.एक वादी को अदालत में हमेशा सच्चा और ईमानदार होना चाहिए।जो इक्विटी चाहता है उसे किसी भी प्रासंगिक सामग्री को नहीं छिपाना चाहिए।वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय को दिए गए वचनों के साथ-साथ इस न्यायालय के आदेशों का भी उल्लंघन किया है।जहाँ तक उसके समक्ष किए गए उपक्रमों का संबंध है, दिल्ली उच्च न्यायालय इस मुद्दे पर विचार करेगा।हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि न।9 और 10 ने भी जानबूझकर और अपमानजनक रूप से इस न्यायालय के आदेशों की अवज्ञा की है।इस न्यायालय में यह मामला लंबित रहने की अवधि के दौरान जो हुआ है, वह यह है कि एफ. एच. एच. पी. एल. की हिस्सेदारी, जो पूरी तरह से ओ. आई. एल. और आर. एच. सी. के स्वामित्व में है, जो बदले में एस. एम. एस. और एम. एम. एस. द्वारा नियंत्रित होती है, एफ. एच. एल. में लगभग गायब हो गई है। एफ. एच. एच. एल. के पास अब एफ. एच. एल. में कोई शेयर नहीं है।यह सच हो सकता है कि आईएचएच हेल्थकेयर बीएचडी। (मलेशियाई कंपनी) अपनी वास्तव में स्वामित्व वाली सहायक कंपनी नॉर्दर्न टीके वेंचर पीटीई लिमिटेड के माध्यम से अब बहुसंख्यक हितधारक है, लेकिन यह तरजीही शेयरों के आवंटन के कारण है।उन्हें आवंटित तरजीही शेयरों के अलावा, जो शेयर एम. एम. एस. के स्वामित्व में थे और उनके ए के माध्यम से एस. एम. एस.

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

113

विनय प्रकाश सिंह बनाम समीर गेहलौत और हमारा। [दीपाक गुप्ता, जे.] ए.

एफ. एच. एल. में एफ. एच. एच. पी. एल. में हिस्सेदारी हवा में गायब हो गई है और एकमात्र निष्कर्ष जो हम निकाल सकते हैं वह यह है कि याचिकाकर्ता को इसके कारण देय राशि से वंचित करने के लिए यह एक सुविचारित योजना थी।

40. किसी भी व्यक्ति या संस्था को, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।अदालत की अवमानना विभिन्न तरीकों से की जा सकती है।दीवानी अवमानना को अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2 (बी) के तहत परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है अदालत को दिए गए किसी वचन के जानबूझकर उल्लंघन के अदालत के किसी भी फैसले, डिक्री, निर्देश, आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करना।आपराधिक अवमानना को धारा 2 (सी) के तहत कुछ भी शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है जो अदालत के अधिकार को कम

करता है या कम करता है या कम करता है।आपराधिक अवमानना का अर्थ कोई भी कार्य है जो न्यायिक कार्यवाही के नियत पाठ्यक्रम में पूर्वाग्रह या हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता है।जहाँ तक वर्तमान मामले का संबंध है, अवमानकर्ता सं.9 और 10 निश्चित रूप से न्यायालय के अधिकार को कमजोर करता है।हम एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के साथ काम कर रहे हैं जो एक पुरस्कार में फलीभूत हो गया है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करके।9 और 10 ने याचिकाकर्ता को भुगतान करने से सफलतापूर्वक बचा लिया है।हमारे विचार में, अवमाननाकर्ता एन. ओ. एस. के खिलाफ आपराधिक अवमानना करने के लिए कार्रवाई की जा सकती थी। 9 और 10, लेकिन मामले पर नरमी से विचार करके हम इसे केवल नागरिक अवमानना के रूप में देख रहे हैं।

ग

डी.

41. इस न्यायालय द्वारा 11.08.2017 पर 31.08.2017 पर स्पष्टीकरण के साथ पारित आदेश और 15.02.2018 पर किए गए संशोधन को अलग से नहीं पढ़ा जाना चाहिए, बल्कि दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानकर्ताओं द्वारा दिए गए गंभीर उपक्रमों और आश्वासनों के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जिसमें अंतिम आदेश 21.06.2017 पर देर से दिया गया था।ये आश्वासन इस आशय के थे कि भले ही न्यायालय ऋण के भुगतान के लिए भारित शेयरों की बिक्री की अनुमति देता है, इसका (संभावित) लेनदारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और धन की उपलब्धता केवल ऋण को कम करेगी और शेयरों के मूल्य में वृद्धि करेगी। उपरोक्त गंभीर आश्वासनों और उपक्रमों के विपरीत, जिन्हें बार-बार आदेश प्राप्त करने के लिए दोहराया गया था, शेयरधारिता में गिरावट आई, जैसा कि पैराग्राफ 23 की तालिका से स्पष्ट है।एफ. एच. एच. पी. एल. द्वारा रखे गए शेयरों की कुल संख्या में उल्लेखनीय गिरावट आई, जो सितंबर 2016 में 27,21,59,955 और 5,29,31,574 से घटकर दिसंबर 2018 में 5,51,484 और 6,01,607 हो गई।मूल्यांकन पर प्रभाव वाले उपरोक्त तथ्य को कभी भी न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया था और इस ज्ञान के साथ छिपाया गया था कि यदि इन तथ्यों को ध्यान में लाया जाता है, तो

ई.

च

जी.

एच.

याचिकाकर्ता के हितों की रक्षा के लिए पारित किए जाने वाले आदेशों पर पर्याप्त प्रभाव।

42. इससे भी अधिक चौंकाने वाली और स्पष्ट रूप से तिरस्कारपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से एक सुविचारित योजना में, कंपनी में नियंत्रित ब्याज को स्थानांतरित करने के उद्देश्य और उद्देश्य के साथ एफ. एच. एल. की अधिकृत पूंजी को बढ़ाया गया था।नतीजतन, एफ. एच. एल. में एम. एम. एस. और एस. एम. एस. की नियंत्रण रुचि कम हो गई, क्योंकि कंपनी ने हाथ बदले। बहुसंख्यक शेयरधारकों द्वारा रखे गए नियंत्रित ब्याज का काफी बाजार मूल्य होता है।इसके अलावा, एक विदेशी शेयरधारक द्वारा लाई गई राशि, जिसका अब एफ. एच. एल. में नियंत्रक हित है, को पूरे तथ्यों को रिकॉर्ड में लाए बिना संदिग्ध और गुप्त तरीके से स्थानांतरित कर दिया गया है।यह राशि पुरस्कार के भुगतान और संतुष्टि के लिए उपलब्ध नहीं है।सिंगापुर में पंजीकृत एक न्यास यानी आर. एच. टी. हेल्थ ट्रस्ट (आर. एच. टी.) को बहुत जल्दबाजी और गुप्त तरीके से लगभग 4600 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं।संयोग से, उत्तरदाताओं ने नहीं।9 और 10 स्वयं या अपनी होल्डिंग कंपनियों के माध्यम से एक समय में ट्रस्ट में सबसे बड़े यूनिटधारक थे।यह स्पष्ट है कि उत्तरदाता देनदार होने के नाते इस इच्छा और इरादे के साथ मूल्य की परिसंपत्तियों को हेरफेर, स्थानांतरित और परिवर्तित कर रहे हैं कि याचिकाकर्ता निर्णय के अनुसार अवमूल्यन राशि की वसूली करने में सक्षम नहीं होंगे।

ग

डी.

43. इसलिए हम इस न्यायालय के आदेशों को अलग-अलग नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उच्च न्यायालय के समक्ष दिए गए पांच गंभीर आश्वासनों और वचनों के साथ पढ़ेंगे।इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश और पारित आदेश इस तथ्य के आलोक में थे कि अवमानकर्ता हमेशा यह अनुमान लगाते थे कि उक्त आश्वासन और उपक्रम बाध्यकारी और पालन करने वाले थे।

ई.

44. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि अवमानकर्ता 9 और 10 ने एफ. एच. एल. में एफ. एच. एच. पी. एल. की हिस्सेदारी को जानबूझकर बदल दिया है।उन्होंने याचिकाकर्ता के अधिकारों को विफल करने के उद्देश्य से ऐसा किया है।उन्होंने इस न्यायालय के दिनांक 11.08.2017,31.08.2017 और 15.02.2018 के आदेशों का भी जानबूझकर और आपत्तिजनक रूप से उल्लंघन किया है।तदनुसार उन्हें अदालत की अवमानना करने का दोषी ठहराया जाता है।हम उन्हें सजा के सवाल पर सुनेंगे।हम अवमानकर्ताओं को एक मौका देते हैं।9 और 10 खुद को अवमानना से शुद्ध करने के लिए।

च

जी.

45. 21.06.2017 पर, अवमानक एन. ओ. एस. की ओर से एक बयान दिया गया था। 9 और 10 दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष कि किसी भी लेन-देन के संबंध में जिसमें ये उत्तरदाता प्रवेश कर सकते हैं, रु। 2341.90 करोड़ अर्थात रु. 452.60 ओ. आई. एल. के करोड़ और रु. 1889.30 करोड़ ए

एच.

आर. एच. सी. की राशि हमेशा कंपनी की परिसंपत्तियों से उपलब्ध और प्राप्त करने योग्य बनाई जाएगी।इसलिए, हम निर्देश देते हैं कि यदि प्रत्येक उत्तरदाता रुपये की राशि जमा करता है। 1170.95 करोड़ अर्थात 50 प्रतिशत रु. इस न्यायालय में आज से आठ सप्ताह के भीतर हम उनके साथ नरमी से निपटने पर विचार कर सकते हैं।

14.12.2018 दिनांकित आदेश का उल्लंघन

46. यह भी तर्क दिया गया था कि अवमानना संख्या।9 और 10 ने दिनांकित 14.12.2018 आदेश का भी उल्लंघन किया है। चूंकि यह मुख्य अवमानना याचिका का विषय नहीं है और इस संबंध में संबंधित पक्षों को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है, इसलिए हम महसूस करते हैं कि इस मुद्दे को बाकी अवमानना याचिकाओं से अलग किया जाना चाहिए क्योंकि मुख्य अभिवचन और जवाब दिनांकित 11.08.2017,31.08.2017,15.02.2018 और 23.02.2018 के आदेशों की कथित अवमानना के संबंध में हैं।

ग

47. हालाँकि, हम मामलों को वैसा ही नहीं रहने दे सकते जैसा वे हैं।14.12.2018 पर, इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया थाः

डी.

"नोटिस जारी करें।

कथित उत्तरदाताओं-प्रतियोगियों की व्यक्तिगत उपस्थिति को वर्तमान के लिए हटा दिया गया है।

मलेशियाई आई. एच. एच. हेल्थकेयर बरहाद को फोर्टिस हेल्थकेयर में नियंत्रक हिस्सेदारी की बिक्री के संबंध में यथास्थिति बनाए रखी जाए।" आदेश निर्देश देता है कि आई. एच. एच. हेल्थकेयर बी. एच. डी. को एफ. एच. एल. में नियंत्रित हिस्सेदारी की बिक्री के संबंध में यथास्थिति बनी रहे। (मलेशियाई कंपनी) को बनाए रखा जाना चाहिए।अब हमें बताया गया है कि यह बिक्री पहले ही हो चुकी थी।इस मामले की जांच की जानी चाहिए और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह बिक्री वास्तव में कब हुई थी और एफ. एच. एल. में नियंत्रण हिस्सेदारी आई. एच. एच. हेल्थकेयर बी. एच. डी. को कब हस्तांतरित की गई थी। (मलेशियाई कंपनी)।इसके अलावा, 09.01.2019 पर, एफ. एच. एल. ने इस अदालत में एक आवेदन दायर किया और कहा कि एफ. एच. एल. और आई. एच. एच. हेल्थकेयर बी. एच. डी. के बीच लेनदेन। (मलेशियाई कंपनी) को 13.11.2018 पर पूरा किया गया था और प्रार्थना की गई थी कि 14.12.2018 दिनांकित आदेश को संशोधित किया जाए क्योंकि यह IHH हेल्थकेयर बीएचडी में नियंत्रक हिस्सेदारी की बिक्री से संबंधित है। (मलेशियाई कंपनी)।

ई.

च

जी.

48. 2019 का आई. ए. No.8948 याचिकाकर्ता द्वारा 15.01.2019 पर दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि एफ. एच. एल. आई. एच. एच. हेल्थकेयर बी. एच. डी. को शेयरों के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप उसे प्राप्त लगभग 4,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित करने का प्रस्ताव कर रहा है। (मलेशियाई कंपनी)] से आरएचटी हेल्थ

एच.

ट्रस्ट, सिंगापुर (आरएचटी)।याचिकाकर्ता ने धन के इस हस्तांतरण को रोकने और 14.12.2018 दिनांकित आदेश के अनुपालन के लिए प्रार्थना की।एफ. एच. एल. ने इस आई. ए. को एक जवाब दायर किया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि एफ. एच. एल. ने स्वयं ही सिंगापुर स्थित आर. एच. टी. से परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से जुड़े लेनदेन को पूरा कर लिया था, भले ही वह पूरी तरह से अवगत था कि इस अदालत को मामले से अवगत कराया गया था।

49. दिलचस्प बात यह है कि आर. एच. सी. और ओ. आई. एल. के मुख्य प्रवर्तक अर्थात एम. एम. एस. और एस. एम. एस. आर. एच. टी. में सबसे बड़े इकाई धारक थे जब इसे शुरू में शामिल किया गया था।आर. एच. टी. ट्रस्ट, सिंगापुर के 20.06.2017 पर यूनिट होल्डिंग के आंकड़ों से पता चलता है कि एस. एम. एस., एम. एम. एस., उनके परिवार के सदस्य, एफ. एच. एच. पी. एल., एफ. एच. एल. और आर. एच. सी. वस्तुतः आर. एच. टी. ट्रस्ट के मालिक थे।वह स्थिति अब बदल गई है और अब स्थिति ऐसी है कि जिन कंपनियों/संघों के एम. एम. एस. और एस. एम. एस. भागीदार हैं, वे अब स्पष्ट रूप से मौजूद नहीं हैं और ऐसे अन्य व्यक्ति भी हैं जो वहां हैं।आर. एच. टी. न्यास में हिस्सेदारी कब और कैसे विभिन्न लोगों द्वारा हस्तांतरित की गई, यह एक ऐसा मामला है जिस पर गौर करने की आवश्यकता है।

ग

डी.

50. हमारा प्रथम दृष्टया यह विचार है कि ये लेन-देन एम. एम. एस., एस. एम. एस., आर. एच. सी., ओ. आई. एल. और एफ. एच. एल. द्वारा याचिकाकर्ता के अधिकारों को विफल करने के लिए किए गए थे, जबकि दिल्ली उच्च न्यायालय में यह वचन दिया गया था कि याचिकाकर्ता के अधिकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।प्रथम दृष्टया हमारा विचार है कि ये लेन-देन पहले के आदेशों के संयोजन में पढ़े गए इस न्यायालय के दिनांकित 14.12.2018 के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा में हैं।

इसलिए हम अवमानना का स्वतः संज्ञान नोटिस जारी करते हैं और रजिस्ट्री को दिनांक 1 के आदेश के उल्लंघन के संबंध में एक नई अवमानना याचिका दर्ज करने का निर्देश देते हैं जिसमें आर. एच. सी., ओ. आई. एल., एम. एम. एस., एस. एम. एस. और एफ. एच. एल. को अवमानक के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।एफ. एच. एल. को निर्देश दिया जाता है कि वह आई. डी. 2 से आई. डी. 1 तक की अवधि के लिए कंपनी के संचालन में सक्रिय रूप से शामिल निदेशकों/अधिकारियों की सूची का खुलासा करे।

ई.

च

दिशा-निर्देश

51. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम इस अवमानना याचिका का निम्नलिखित शब्दों में निपटारा करते हैंः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

जी.

(i) हम इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के निदेशक और इंडियाबुल्स वेंचर्स लिमिटेड के निदेशक समीर गहलौत को पाते हैं।5), गगन बंगा, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के निदेशक और इंडियाबुल्स वेंचर्स लिमिटेड के निदेशक (समकालीन Nos.2 & &6), अश्विनी कुमार हुड्डा, इंडियाबुल्स हाउसिंग ए के निदेशक

एच.

117

विनय प्रकाश सिंह बनाम समीर गेहलौत और हमारा। [दीपाक गुप्ता, जे.] ए.

फाइनेंस लिमिटेड (कंटेंनर नंबर 3), इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (कंटेंनर नंबर 4) के निदेशक सचिन चौधरी, इंडियाबुल्स वेंचर्स लिमिटेड के निदेशक दिव्येश भरत कुमार शाह (कंटेंनर नंबर 7) और इंडियाबुल्स वेंचर्स लिमिटेड (कंटेंनर नंबर 8) के निदेशक पिनांक जयंत शाह, जो आई. एच. एफ. एल. और आई. वी. एल. के सक्रिय निदेशक हैं, ने जानबूझकर और जानबूझकर इस अदालत के आदेशों की अवज्ञा की, जैसा कि <आई. डी. 1 पर जारी है।हम उन्हें सजा के सवाल पर सुनेंगे।हम लोगों को अपमानित करने का अवसर देते हैं।1-8 आज से आठ सप्ताह के भीतर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 31.08.2017 पर 12,25,000 शेयरों का मूल्य जमा करके खुद को अवमानना से मुक्त करना।यदि उक्त प्रतिवादी अवमानना से खुद को मुक्त करते हैं, तो हम सजा सुनाते समय एक उदार दृष्टिकोण अपना सकते हैं।

ग

डी.

(ii) ऑस्कर इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के निदेशक और आर. एच. सी. होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मालविंदर मोहन सिंह (कंटेंनर <आई. डी. 2 और 12) और ऑस्कर इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के निदेशक और आर. एच. सी. होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक शिविंदर मोहन सिंह (कंटेंनर <आई. डी. 1 और 13) ने जानबूझकर इस अदालत के दिनांक 11.08.2017,31.08.2017 और 15.02.2018 के आदेशों का उल्लंघन किया है जैसा कि 23.02.2018 पर जारी है।इसलिए, हम उन दोनों को इस न्यायालय की अवमानना करने का दोषी मानते हैं।हम उन्हें अवमानना से खुद को शुद्ध करने का एक मौका देते हैं।हम, अवमानकर्ताओं में से प्रत्येक द्वारा रुपये की राशि जमा करने के मामले में निर्देश देते हैं। इस न्यायालय में आज से आठ सप्ताह के भीतर हम सजा सुनाते समय उनके साथ नरमी से निपटने पर विचार कर सकते हैं।

ई.

च

(iii) यदि अवमानकर्ताओं में से कोई भी राशि जमा करता है जैसा कि ऊपर निर्देश दिया गया है, तो यह न्यायालय अगली तारीख को तय करेगा कि इस राशि का वितरण कैसे किया जाए।

जी.

(iv) रजिस्ट्री को आर. एच. सी. होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, ऑस्कर इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, मालविंदर मोहन सिंह, शिविंदर के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए अवमानना याचिका दायर करने का निर्देश दिया जाता है।

एच.

मोहन सिंह और फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड ने जानबूझकर इस अदालत के दिनांक 14.12.2018 के आदेश का उल्लंघन किया और उन्हें 03.02.2020 के लिए वापस करने योग्य नोटिस जारी किया, जिसमें उनसे कारण बताने के लिए कहा गया कि उन्हें अवमानना के लिए दंडित क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

52. वर्तमान अवमानना याचिका को 03.02.2020 पर सूचीबद्ध करें जब ऊपर नामित सभी अवमानक न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।उस दिन हम सजा के मुद्दे पर उनकी बात सुनेंगे।इसके साथ ही, जिस अवमानना याचिका को दर्ज करने का आदेश दिया गया है, उसे भी 03.02.2020 पर सूचीबद्ध किया जाएगा।

ग

दिव्या पांडे

निर्देश जारी किए गए।

डी.

ई.

च

जी.

एच.